

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 06 / 2014 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 24.02.2014

1 अलहमदी वेवा नशीर मुहम्मद, उम्र 70 वर्ष,
निवासी गोरियन टोला मौ, पगरना गोहद, जिला
भिण्ड म०प्र०

अपीलार्थी / वादी

ब-ना-म

- 1 छोटेला पुत्र रामजीलाल, उम्र 46 वर्ष।
- 2 राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल, उम्र 43 वर्ष।
- 3 विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल, उम्र 31 वर्ष।
- 4 संतोष पुत्र गोपाल, उम्र 26 वर्ष।
- 5 राजबीर पुत्र गोपाल, उम्र 24 वर्ष। समस्त जाति-
नाई एवं निवासी मौ, परगना गोहद, जिला भिण्ड
म०प्र०
- 6 श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी राजकुमार, उम्र 30 वर्ष,
जाति- यादव, निवासी मौ, परगना गोहद जिला
भिण्ड म०प्र०
- 7 जितेन्द्र पुत्र श्रीराम, उम्र 11 वर्ष, नावालिग व
सरपरस्त पिता श्रीराम खुद, जाति कुशवाह,
निवासी मौ, परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०
.....असल प्रतिअपीलार्थी / प्रतिवादीगण
- 8 म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड म०प्र०
.....तरतीवी प्रतिअपीलार्थी / प्रतिवादी

अपीलार्थी द्वारा श्री एन.पी. कांकर अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी कं. 1 लगायत 5 द्वारा श्री सुनील कांकर
अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 6 द्वारा श्री रमेश यादव अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 7 द्वारा श्री अवधविहारी पारासर अधि.
प्रत्यर्थी कं. 08 पूर्व से एक पक्षीय।

// निर्णय //

(आज दिनांक 19-05-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/वादी के द्वारा वर्तमान अपील व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मोहद, पीठासीन अधिकारी श्री एस०के०तिवारी द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 17ए/2011 ई०दी० अलहमदी वि० छोटेलाल आदि आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2014 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद निरस्त किया गया है। सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में अपीलार्थी को वादी एवं प्रतिअपीलार्थीगण को प्रतिवादीगण के रूप में संवोधित किया जावेगा।

02. संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत वाद इस प्रकार रहा है कि ग्राम मौ स्थित आराजी क्रमांक 1196 रकवा 0.376 हे० भूमि में से हिस्सा 1/2 अर्थात् 0.188 हे० में 18 विश्वा का विवाद है, जो कि पश्चिमी दिशा का है। विवादित भूमि के पश्चिम दिशा में वादिया के पति नसीर मोहम्मद पुत्र वाकर मोहम्मद कृषक होकर काविज थे जिसे उनके द्वारा संवत् 2003 में साविक जमींदार अब्बासी से 500/- रूपए नजराना देकर दो रूपए प्रतिवर्ष लगान पर जोती थी और अपने जीवन तक उस पर खेती करते रहे। नसीर मोहम्मद की मृत्यु हो जाने से वादिया उनकी एक मात्र वारिस है और विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा चला आ रहा है। वादिया के पति जमींदारी समय होने पर विवादित भूमि के पक्के कृषक हो गए थे और भूराजस्व संहिता लागू होने पर उनकी स्थिति उपकृषक की होकर भूस्वामी के स्वत्व उत्पन्न हो गए थे। इस कारण वादिया को भूस्वामी घोषित किया जाने की प्रार्थना की है एवं वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5, 7 एवं उनके पूर्वजों का कोई संबंध एवं स्वत्व नहीं है और न ही रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 को विवादित भूमि का भूस्वामी होना गलत अंकित किया है, जबकि राजस्व अभिलेखों में वादिया के पति नसीर मोहम्मद उपकृषक की हैसियत में इन्द्राज है। पटवारी मौजा के द्वारा बिना सूचना दिए वादिया के पति का नाम उपकृषक के खाने से निरस्त कर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 का नाम गलत रूप से इन्द्राज कर दिया है, जो कि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के किया गया है।

03. वादिया ने आगे यह भी निवेदन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 ने प्रतिवादी क्रमांक 6 गुड्डीबाई के हक में बिना स्वत्व के दिनांक 16.06.2009 को बिक्रयपत्र संपादित किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जिस पर दिनांक 14.09.09 को प्रतिवादी क्रमांक 6 ने अपना नामांतरण करा लिया है। उक्त बिक्रयपत्र वादिया के मुकाबले शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक 6 के द्वारा दिनांक 30.06.09 को अमरसिंह के सहयोग से प्रतिवादी वादिया को कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न की तब वादिया ने पटवारी मौजा से जानकारी कर प्रतिवादी क्रमांक 6 के विरुद्ध एस.डी.एम गोहद में धारा 145 जा0फौ0 के तहत कार्यवाही पेश की जिसमें उन्हें प्र.पी. 10,000/- रूपए के मुचलके पर पाबंद किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 6 वादिया को उसके विवादित भूमि पर स्वत्व से इन्कार कर कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। वादिया ने अपने पक्ष में विवादित भूमि की भूमिस्वामिनी एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के पक्ष में कथित बिक्रयपत्र को शून्य घोषित किए जाने एवं अपने कब्जा बर्ताव में प्रतिवादीगण द्वारा कोई हस्तक्षेप न किए जाने का अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की है।

04. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्र01 लगायत 05, 6 व 7 की ओर से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद का पृथक पृथक वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अभिकथित प्राक्कथनों से प्रत्याख्यान करते हुए विशेष कथनों में यह आधार लिया है कि विवादित भूमि पर पश्चिम दिशा में वादिया के पति उपकृषक होकर काबित नहीं थे और न ही उनका कोई संबंध सरोकार विवादित भूमि से रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 व उनके पूर्वज विवादित भूमि पर कब्जावर्ताव करते हुए खेती करते चले आ रहे है। वादिया द्वारा उन्हें परेशान करने के लिए यह झूठा दावा पेश किया है। उनका नाम राजस्व अभिलेखों में पूर्वजों के समय से ही वादिया की जानकारी में चला आ रहा है जिसे बिक्रय करने का उन्हें पूर्ण अधिकार था और इसीलिए उनके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 6 गुड्डीबाई को भूमि बिक्रय की है और उसे मौके पर कब्जा करा दिया है, जिस पर उसके द्वारा खेती की जा रही है और उसका नामांतरण हो चुका है। उस समय भी वादिया द्वारा कोई आपत्ति नहीं की थी। वादिया के पति का उक्त विवादित जमीन पर पश्चिम दिशा में कोई खेती नहीं होती थी और न ही सम्वत् 2003 में नजराना देकर लगान

पर जोती है। वादिया ने वाद अंदर अवधि पेश नहीं किया है और नही विवादित भूमि पर वादिया का आधिपत्य है, इसलिए धारा 34 इस्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दावा अप्रचलनशील है। जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 7 की ओर से जाबवदावा में निवेदन किया है कि विवादित भूमि के 1/2 भाग का वह भूमिस्वामी है एवं पश्चिम दिशा में वादी का आधिपत्य होना स्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि वादिया उसके विरुद्ध कोई भी सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है और वादिया के दावे को सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है। अतः वादी का वाद प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 5, 6 व 7 के विरुद्ध सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05. अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, साक्षियों का परीक्षण कराया गया है एवं दस्तावेज प्रमाणित कराये गये हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोष पर निराकरण करते हुये उक्तानुसार दावा निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

06. अपीलार्थी/वादिया की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं कर वाद विषयों का सही निष्कर्ष नहीं निकालने में त्रुटि किये जाने एवं एवं आलोच्य आदेश उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. प्रत्यर्थीगण की ओर से आलोच्य निर्णय को विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08. अपील याचिका के साथ वादिया के द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया है।

09. अपील याचिका पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.पी.कांकर तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कांकर, प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश यादव, प्रत्यर्थी क्रमांक 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधविहारी पारासर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क० 17ए/2011 ई०दी० (अलहमदी वि० छोटेलाल आदि) में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.01.2014 एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

10. अपील प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क० 17ए/2011 ई०दी० (अलहमदी वि० छोटेलाल आदि) में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.01.2014 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है?
02.	क्या अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है ?
03.	क्या अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है?
04.	क्या अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य है?

|| सकारण निष्कर्ष ||

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि विचारण न्यायालय ने बाद में विरचित 6 वादप्रश्न उनके पक्ष में निराकृत किए हैं और केवल दावा तकनीकी आधार पर कि वादी ने कब्जे की सहायता नहीं चाही है निरस्त कर दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि वादी ने अन्य सहायता की प्रार्थना की थी।

12. प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को विचारण न्यायालय ने समयावधि उचित न्यायशुल्क में प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित मानते हुए प्रतिवादीगण

द्वारा वादिया की भूमि में अवैध हस्तक्षेप अंशतः प्रमाणित मानते हुए भूस्वामी एवं अंशतः आधिपत्यधारी होना माना है। स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त निष्कर्ष के विरुद्ध प्रतीप अपील या प्रत्याक्षेप प्रस्तुत नहीं किया है।

13. विचारण न्यायालय ने वादिया की ओर से प्रस्तुत दावा इस आधार पर निरस्त किया है और प्रकरण में यह प्रमाणित पाया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादिया काबिज नहीं है और इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी वादिया ने कब्जे की सहायता नहीं मांगी है और वादिया का दावा विनिर्दिष्ट अनुतोष की धारा 34 के परंतुक के आधार पर अप्रचलनशील होना मानते हुए निरस्त किया है।

14. प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो वादी साक्षी अलहमदी वा0सा0 1 ने अपने पति की मृत्यु के बाद से स्वयं का कब्जा होने संबंधी कथन किए हैं, किन्तु यदि इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 और 9 का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर गुड्डीबाई का कब्जा है और वह खेती कर रही है। गुड्डीबाई दो साल से जबकि वयनामा कराया तब से खेती कर रही है और फसल ले रही है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि वादिया का प्रतिपरीक्षण न्यायालय में 14.05.2013 को किया गया है, जबकि प्रकरण में निर्णय दिनांक 28.01.2014 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में वादिया की जानकारी में जब यह तथ्य था कि लगभग दो वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा नहीं है तब निश्चित रूप से वादिया का मामला विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के परंतुक के अंतर्गत आता है।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि उन्होंने अपने वादपत्र की सहायता के चरण क्रमांक 19(द) में यह उल्लेख किया है कि अन्य सहायता जो कानूनन वादिया के पक्ष में है वह भी दिलाई जावे।

16. किन्तु यदि वादिया के वादपत्र का अवलोकन किया जावे तो वादिया ने अपने वादपत्र में यह स्पष्टतः अभिवचन किया है कि उसके पति की मृत्यु के बाद से वादग्रस्त भूमि पर उसका ही कब्जा चला आ रहा है। यहाँ तक कि वादपत्र के चरण क्रमांक 3 में इस आशय के स्पष्ट अभिमत है कि वादिया विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती कर रही है। इसी आशय के अभिकथन वादिया ने अपनी

शपथपत्रीय साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में किया है। ऐसी स्थिति में सहायता के चरण क्रमांक 19(द) का अभिप्राय कब्जे से है मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वादिया ने अपने वादपत्र में एवं अभिकथनों में वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना दर्शाया है। ऐसी स्थिति में वादिया वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी चाहती थी अन्य सहायता में सम्मिलित नहीं माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कब्जा संबंधी सत्यता प्रतिपरीक्षण के दौरान सामने प्रकट हुई है।

17. ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आने का जो निष्कर्ष निकाला है वह उचित है।

18. अपीलार्थी की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया है, जिसमें यह आधार लिया है कि वादिया ने सम्पूर्ण वाद प्रमाणित किया है, किन्तु विचारण न्यायालय ने तकनीकी आधार पर वादिया का दावा निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में संशोधन के माध्यम से कब्जा दिलाया जाने की सहायता समाहित किये जाने की प्रार्थना की है।

19. प्रत्यर्थीगण की ओर से आवेदनपत्र का इस आधार पर विरोध किया है कि वादिया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है, यह उसे दिनांक 21.06.2011 को ही जानकारी हो गई थी। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ चले धारा 145 दं.प्र.सं. के प्रकरण से जानकारी हो गई थी, किन्तु उसके उपरान्त भी वादिया ने कोई कार्यवाही नहीं की और अब अपील की स्टेज पर संशोधन केवल मात्र त्रुटि को पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है और इसी आधार पर आवेदनपत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

20. व्यवहार प्रकृति संहिता का आदेश 6 नियम 17 पक्षकारों को अपने अभिवचनों में संशोधन का प्रावधान करता है। निश्चित रूप से केवल सहायता के चरण में कब्जे की सहायता मांगा जाना वाद के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करता है। अपील विचारण की ही एक स्टेज है, ऐसी स्थिति में अपील की इस स्टेज पर संशोधन मान्य नहीं किया जा सकता है, इस संबंध में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

21. जहाँ तक विनिर्दिष्ट अनुतोष की धारा 34 के परंतुक के अंतर्गत कब्जे की सहायता नहीं

मांगी गई है और अपील की स्टेज पर ऐसा संशोधन चाहा गया है, इस संबंध में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत **मन्नीलाल दुवे वि० ग्यासीराम 1993(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 10** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय का यह भी मत रहा है कि कब्जा न रखने वाले वादी द्वारा घोषणा और व्यादेश के लिए वाद वादी को कब्जे के लिए भी अनुतोष मांगने के लिए संशोधन हेतु अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत में किया गया सम्प्रक्षण अवलोकनीय है—

Following the law laid down by the Supreme Court in Rukhmabai Vs Laxminaranyan (AIR 1960 SC 335), this Court has further held in Kalyan singh (supra) that Failure on the part of the plaintiff to ask for further relief does not entail dismissal of the suit automatically but it is a well settled rule of practice to allow the plaintiff an opportunity of making the necessary amendment. As already stated, such an application was not made before the lower appellate Court because of want of the opportunity; nevertheless the amendment has been applied for before this Court.

22. न्यायालय की मंशा पक्षकारों के मध्य प्रकरण का निराकरण साम्यापूर्ण सिद्धांतों पर गुणदोष के आधार पर किया जाना होता है न कि अत्यधिक तकनीकी आधारों पर। निश्चित रूप से वादिया कब्जे की सहायता मांगने में बिफल रही है, किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में संशोधन की अनुमति दी जाना प्रज्ञा के नियम के अनुरूप उचित प्रतीत होती है, जिससे पक्षकारों के मध्य मामले का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा सके और वास्तविक न्याय के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके। निश्चित रूप से वादिया लम्बे समय तक प्रस्तावित संशोधन करने में सफल नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण की प्रतिपूर्ति किया जाना भी आवश्यक है।

23. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17

सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. 3000/- रूपए के परिव्यय पर स्वीकार किया जाता है।

24. प्रकरण में वादिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में कब्जे के संबंध में उभय पक्ष को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों मांग करती है। जिससे उभयपक्ष को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में प्रकरण को केवल कब्जे के संबंध में उभय पक्ष को साक्ष्य का अवसर देने एवं प्रकरण में पुनः तर्क सुने जाकर निर्णय पारित करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

25. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील अंशतः स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय व जयपत्र आपस्त किया जाकर विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को पुनः उसी नम्बर पर दर्ज करे तथा उभय पक्ष को कब्जे के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित निर्णय पारित करे। उभय पक्ष की अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति हेतु दिनांक 28.06.2017 नियत की जाती है। उभयपक्ष उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे। अपीलार्थी अपने साथ साथ इस अपील का प्रत्यर्थीगण का वादव्यय भी वहन करेगा।

तदनुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)